10 12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA IDICIAL

6.2.17

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Y 253310

न्यास विलेख

न्यास की सम्पत्ति – 11 हजार नगद मात्र

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुच्छेद 64 के विवरिणका 1 बी के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय

स्टाम्प शुल्क 1100/– न्यास की सम्पत्ति रूपया नगद 11 हजार पर

न्यास पंजीयन के समय किसी प्रकार के अचल सम्पत्ति का व्यवस्थापन नही किया जा रहा है।

यह शैक्षिक न्यास विलेख की घोषणा दिनांक 31 जनवरी वर्ष 2017, तहसील–सदर जनपद– बस्ती में सम्पादित किया गया।

न्यास का नाम – **चन्द्र दूर्गा जन कल्याण न्यास**

न्यास का पता – मोहल्ला शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती, जनपद–बस्ती

न्यास का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारत वर्ष

न्यास की सम्पत्ति – 11 हजार नगद

न्यास में मुख्य न्यासी – श्री अरविन्द पाल पुत्र श्री चन्द्र प्रताप पाल निवासी मोहल्ला शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती

हम कि मुकिर श्री अरविन्द पाल पुत्र श्री चन्द्र प्रताप पाल निवासी मोहल्ला शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती का मूल निवासी हूं। हम मुकिर समाज के समग्र विकास हेतु चिन्तन करता रहता हूं जिससे कि शिक्षा की विचार धारा का प्रसार होता रहे तथा स्वस्थ समाज, भाईचारा, आपसी सदभाव तथा युवाओं की अध्यात्मिक , शरीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास हो सके। हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है ।हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ती आपसी सदभाव व विश्वास, सदाचार , शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्दश नागरिक गुणों कि स्थापना हो। समाज के साधन हीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं , भोजन शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे

अनिल दिवान गुप्ता
कलेक्ट्री कचेहरी बस्ती
लाइसेन्स नं० ५

30 DEC 2015

11000/-

500 + 80 = 580

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Y 253311

रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाईचारा सामप्रदायिक ताल मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाति, छुआ–छुत, धर्म और साम्प्रदाय, उंच– नीच की भावना कही से भी बाधक न हो । जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगो को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है जिससे हमारी प्रकृति एवं संस्कृति की रक्षा हो। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 11000/– ग्यारह हजार रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेगे।

हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास नाम पता व उदेश्य निम्न है।–

1. यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित न्यास का नाम **चन्द दूर्गा जन कल्याण न्यास** होगा जिसे इस प्रपत्र में आगे "न्यास" व "ट्रस्ट" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा
2. यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित उक्त न्यास का कार्यालय **मोहल्ला शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती, जनपद–बस्ती** में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उददेश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयो की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीयन कराया जा सकेगा।

न्यास के निम्न लिखित उदेश्यों के पूर्ति हेतु गठित की जा रही है।

1. देश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी ,संस्कृत अंग्रेजी उर्दू , अरबी एवं भारतीय प्रादेशिक भाषा के विभिन्न पाठ्यक्रम के प्राथमिक से महाविद्यालय स्तर तक कम्प्यूटर शिक्षा, ला कालेज, बी.एड, बी.टी.सी.व्यवसायिक शिक्षा के नये विद्यालयो की

अजय रतन गुप्ता
कलेक्ट्री कचेहरी बस्ती
लाइसेन्स नं० 15

कोषागार बस्ती

30 DEC 2015

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CT 443475

स्थापना ,ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी ,तकनीकी मैनेजमेंट व तकनीकी शिक्षा का अध्यापन केन्द्र की स्थापना करना।

2. समाज के सभी वर्गो के पुरूषों व महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे–सौन्दर्य प्रशिक्षण (ब्यूटी पार्लर) सिलाई,कढ़ाई ,मेंहदी पेंटिंग, पॉट डेकोरेशन फलावर मेकिंग,टेक्सटाइल्स डिजाइनिंग ,अचार मुरब्बा,जैम जैली पापड़, पायदान, हाथ के पंखे ,बैग ,डलिया ,चटाई हैण्ड क्राफट डेयरी उद्योग ,मशरुम,पोल्ट्री,प्रोसेसिंग,बागवानी खाद्य व फल संरक्षण,बेकिंग,कम्प्यूटर,सटरिंग, कारपेन्टर पलम्बर, मोबाइल, ए.सी. वाटरप्रुफिंग सेनीटेशन, रेफरीजेशन,इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, मेशन से सम्बन्धी सभी प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे व स्वरोजगार कर सके।

3. अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु अल्पसंख्यक विद्यालय मदरसा उर्दू फारसी, अरबी भाषाओं में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,माध्यमिक व महाविद्यालय की स्थापना करना।

4. मजदूरों ,किसानों के हितों के लिये यथासम्भव प्रयास करना।

5. किसानों को उन्नत खेती के बारे मे जानकारी प्रदान करना व प्रशिक्षित वैज्ञानिकों से समय–समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व किसानों को कामर्शियल खेती के बारे में प्रशिक्षण दिलाना।

6. किसानों के समस्याओं को सक्षम अधिकारी के समक्ष या उचित मंच पर उठाना।

7. मजदूरों जिसमें अप्रशिक्षित मजदूरों को प्रशिक्षित करना व इनके लिये रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के दिशा मे कार्य करना।

8. संस्था एक आदर्श स्वस्थ समाज के स्थापना के पूर्ति के लिये जनसंख्या नियन्त्रण हेतु शिशु एवं मातृ मृत्यू दर कम करने स्वाइन फलू ,एड्स ,हेपेटाइटिस तथा विभिन्न प्रकार के संक्रमणीय रोगों के रोकथाम हेतु व्यापक पैमाने पर जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन अभियान के रुप में करेगी। आवश्यकतानुसार चिकित्सा निदान केन्द्रों के संचालन के साथ ही परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गॉवों में व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन एवं बच्चों के टीकाकरण के लिये सहयोग प्रदान करना तथा महामारी के समय मे जनता की मदद करना मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना व स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यो का क्रियान्वयन करना।

alyu

[illegible] 20-7-96 [illegible]

2 4 JAN [illegible]

अजय [illegible] गुप्ता
कलेक्ट्री कचेहरी बस्ती
लाइसेन्स नं० 75

9. अल्पसंख्यक व अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के शिक्षण व प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना ।
10. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुये प्रदुषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रुप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना व इस पर शोध कार्य करना।
11. सामाजिक बुराइयों को नाट्य ,टी0वी0सीरियल ,डाक्यूमेन्टरी धारावाहिक आडियो विजुअल के माध्यम से करना तथा सामाजिक उत्थान हेतु प्रचार प्रसार करना।
12. जल संरक्षण जल बचाव जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना।
13. टूटे हुए परिवार (पति–पत्नी) के रिश्ते को परिवार परामर्श के द्वारा जोड़ना एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना।
14. असहाय बच्चों के शैक्षिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना ,तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिये निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।
15. औषधि कार्यों के लिये जडी–बूटी की पहचान तथा उसे वाणिज्य रुप से उत्पादन हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान करना तथा उपज को सही मूल्य हेतु जानकारी देना।
16. दैवी आपदा ,बाढ,भूकम्प ,सूखा हैजा प्लेग जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों महामारी व विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों में शासन प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह की सेवा करना।
17. अस्वस्थ वातावरण, असुरक्षित जीवन, खानाबदोश जीवन को समाज के मुख्य धारा में जोडने के लिए हर संभव प्रयास करना।
18 शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की योजना का संचालन जो गरीबों के उत्थान की अपेक्षा गरीबों के शोषण व जाति से ग्रसित हो तथा इससे समाज में अशान्ति व असन्तोष फैले , को पुर्नविचार हेतु शासन प्रशासन के विरुद्ध पी.आई.एल.दर्ज कराना।
19 शोषण व भ्रष्टाचार के विरुद्ध सर्वेक्षण करना व इसकी सूचना शासन प्रशासन के वरिष्ठतम व्यक्तियों तक पहुँचाना (विभागों में) तथा समाधान हेतु सूचना पर कार्य संचालन की जानकारी हेतु आर.टी.आई, के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना तथा समस्याओं के समाधान हेतु लोक अदालत लगवाना, नुक्कड सभाओं के माध्यम से लोगों में जागरुक पैदा करना।
20 स्वयं सहायता समुह का गठन करना व स्वय सहायता समुह को प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना।जनसंख्या नियन्त्रण व परिवार नियोजन से सम्बन्धित कार्य का संचालन व प्रचार प्रसार करना।
21. पशुधन /पशुपालन को बढावा देना तथा उनके संरक्षण एवं संसाधन के रुप में विकसित करने हेतु प्रशिक्षण देना।
22. दहेजप्रथा ,बालविवाह, अन्धविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने काप्रयास करना।
23. प्रधानमंत्री द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम मेंअपनी सहभागिता सुनिश्चित करना तथा इसके सफलता के लिए तन,मन,धन से प्रयास करना।
24 उपभोक्ता हितार्थ जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना।
25. विज्ञान एवं प्राद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना।
26. आम जनता के उपयोग के लिये कम्यूनिटी हाल ,बारातघर ,वृद्धाश्रम ,महिलाश्रम,हेल्थ केयर, अनाथालय कूडादान,प्याऊ ,वाचनालय ,पुस्तकालय, धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना करना।
27. ग्रामीण स्वरोजगार, साक्षरता,आवास विकास, जननी सुरक्षा समबिन्धत योजनाए तथा विंकलांग व अतिनिर्धन उत्थान एवं पूर्नवास योजनाए संचालित करना।
28. जल संरक्षण ,मृदा संरक्षण तथा राज्य व केन्द्र सरकार से संचालित मनोरंजक कार्यो प्रदर्शनियों तथा किसान मेलों का आयोजन करना।
29. संयुक्त वन प्रबन्धन के कार्य का सम्पादन करना तथा हाई टेक नर्सरियों की स्थापना करना ,इसके अतिरिक्त विलुप्त हो रही बीजों एवं प्रजातियों का संरक्षण करना तथा उनके उत्पादन को बढावा देना ,वर्गी कम्पोस्ट ,जैव विविधिकरण कृषि विविधिकरण बीज संसाधन मसालों की खेती तथा अन्य कृषि विकास व कृषि यन्त्रिकी से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करना।

30. राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं को विधिक एवं अन्य जानकारी प्रदान करना।

31. ग्राम विकास अभिकरण द्वारा चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों जैसे पंचायत भवन ,नाली ,खडन्जा ,पेयजल व कुओं की देखभाल व योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

32. संगीत , साहित्यिक शिक्षा ,अन्ताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करना।

33. खेलों को बढावा,खेलों के प्रति गॉवों एवं शहरों में अभिरुचि पैदा करने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना वं खेल प्रतियोगिता व आयोजन करना व योग्य खिलाडियों को प्रोत्साहित करना।

34. गॉव में कुटीर,शिल्प एवं दस्तकारी व उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने, प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

35. मलिन बस्तियों की सफाई ,शुद्धपेयजल,निःशुल्क आवास निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना व इनके उत्थान के दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करना व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना।

36. वायु व ध्वनि प्रदूषण रोकने की दिशा में जनजागरण कार्यक्रम संचालित करनाएवं वृक्षारोपण करना।

37. मानवता के सेवा हेतु सामाजिक ,शैक्षिक, आध्यात्मिक व नैतिक उन्नति के लिये कार्य करना।

38. अस्वस्थ वातावरण व सडक पर रहने वाले निराश्रित बच्चों के एवं शिक्षा व स्वरोजगार प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

39. महिला हिंसा,अत्याचार,धरेलू हिंसा के निवारण हेतु जागरुकता कार्यक्रम करना।

40. खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से लोगों को कुटीर उद्योग के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कार्य करना,।

41. लोक संगीत , लोक कला ,लोक संस्कृति को संरक्षित करना व इसके उत्थान के दिशा मेंकार्य करना जिससे लुप्त होती लोक कला ,लोक संगीत को सरक्षित किया जा सके।

42. राष्ट्र के महा पुरुषों के जन्मदिन पर विचार गोष्ठी ,सेमिनार ,खेलकूद,सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

43. बलात्कार पिडित महिलाओं लडकियो कानूनी सहायता, पूर्नवास तथा सरकार के द्वारा स्थापित निर्भया कोष से सहायता दिलाना, स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना व अन्य वह सभी कार्य करना जो बलात्कार पीडित महिला और लडकियों के जीवन को सुधारने में सहायक हो।

44 विकलांग, बेरोजगार युवक एवं युवतियों साथ ही गरीब महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण ,कोचिंग तथा पुर्नवास हेतु तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करेगी।

45 वैकल्पिक उर्जा के विकास,स्वीकार्य के दिशा में कार्य करना व इसके विपरण हेतु व्यवस्था करना व जनता का जागरूक करना।

46. विश्व बैंक, मौलाना अबुल कलाम फाउन्डेशन नई दिल्ली, हेल्पेज इण्डिया केयर, विश्व स्वास्थ संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संचालित बाल एवं महिला विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

47. ईधन बचत हेतु लोगों को जागरुक करना तथा रसोई गैस से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिये विभिन्न तेल कम्पनियों एवं एजेन्सियों के सहयोग से जन जागरुकता अभियान चलाना एवं घर–घर जाकर प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा चूल्हों की जॉच कराना।

48. गरीब एवं जरुरतमन्दों को विभिन्न कक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग क्लास का संचालन करना।

49 मुर्गी पालन तथा तरल जैविक के तकनीक व पौधशाला को बढावा देना व संचालित करना।

50 योग सिद्धि प्राणायाम ,आसन,ज्ञान धारणा, होम्योपैथिक ,आयुर्वेदिक यूनानी, एक्यूप्रेशर , एक्यूपंचर व मन्त्र चिकित्सा व अन्य वैकल्पिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार व लोगों का चिकित्सा करना।

51 प्रौढ शिक्षा केन्द्र, महिला कार्यक्रम एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अअन्तर्गत बाल बालिकाओं को साक्षर बनाना । समाज के अधिक उम्र के व्यक्तियों व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

52 समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड उत्तर प्रदेश,शिक्षा विभाग कपाट,नोराड,यूनिसेफ व अन्य स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रसारित करना।

53 केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड नाबार्ड, सिडवी सैफ इण्डिया, सूडा अबार्ड मद्यनिषेध विभाग, अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत शामिल योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

54 विंकलागों को स्वालम्बी बनाने में सहायता करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों, ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र उपलब्ध कराते हुए उनकी जीविका की व्यवस्था कराना। आवासीय विंकलाग विद्यालय व मंद बुद्वि बाल विद्यालयों की स्थापना करना। रेडक्रास सोसाइटी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, निःशुल्क रक्तदान शिविर, नशा बन्दी हेतु गोष्ठी व जागरूकता कार्यक्रम। मद्यनिषेध तथा मादक पथार्थो के सेवन करने करने वालों हेतु निःशुल्कइलाज की व्यवस्था करना।

55 सभी को स्वास्थ्य के प्रति सर्तक करना एवं संक्रामक रोगों से बचने के लिए प्रचार प्रसार करना। परिवार कल्याण व प्राकृतिक चिकित्सा पद्यति को सुस्थापित करना। निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सालयों की स्थाना करना कुष्ठ, क्षय, हेपेटाइटिस ए0बी0, मधुमेय व एड्स रोग के आधुनिक उपायों के प्रचार प्रसार एवं तत्सम्बन्धित निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना। परिवार नियोजन एवं मातृ कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन तथा निःशुल्क नशबन्दी, टीकाकरण, ऑख के आपरेशन शिविर, चैरिटैबल अस्पताल, अपंगता, अन्धता, पोलियों कैसर अस्पताल, हेल्थ कलब, व्यायामशालाओं की स्थापना, चेचक निवारण केन्द्रो की स्थापना।

56 समाज के पिछडे वर्ग हेतु ओद्यौगिक जैसे टाइपिंग कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग स्क्रीन प्रिटिंग, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियों ट्रेनिंग लघु तथा कुटीर उद्योग, मोटर बाइन्डिंग टी0वी0 प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के प्रति प्रयास करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उसे संचालित करना।

57 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा उ0प्र0 सरकार भारत सरकार व राज्यो व सरकारो व विदेशी सगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना।

58 समाज के सभी वर्ग गरीब लडकियों का निःशुल्क शादी की व्यवस्था जनसहयोग से करना।

न्यास के संचालन की प्रक्रिया

हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्न रूपेण कि जायेगी–

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम, **चन्द्र दुर्गा जन कल्याण न्यास** होगा जिसे इस प्रपत्र में आगे "न्यास" व "ट्रस्ट" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का कार्यालय **मोहल्ला शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती, जनपद–बस्ती** में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उददेश्यों की सुगम प्राप्ति के ह्यवत इसके अन्य कार्यालयो की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीयन कराया जा सकेगा।
3. यह कि पूर्व में हम मुकिर/हम मुकिर के पूर्वजों के द्वारा जो संस्थाएं स्थापित कर उनका पंजीकरण कराया गया है, वह हम मुकिर द्वारा स्थापिक किये जाने वाले इस न्यास/

ट्रस्ट के अधीन होगी और उनकी व्यवस्था न्यास मण्डल के न्यासीयों के द्वारा किया जाएगा।

4. न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पडने पर विधि व्यवस्थाआके के अनुसार विदेश में भी न्यास का संचालन किया जायेगा।

5. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के सस्थापक व आजीवन मुख्य न्यासी होगें तथा न्यास के मुख्य प्रबन्धक भी कहे जायेगें। हम मुकिरा द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उददेश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के न्यासी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा, जिनकी कुल सख्या 03 से कम तथा 07 से अधिक न होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास के सुगम प्राप्ति हेतु अन्य न्यासियों भी की जा सकेगी । हम मुकिर द्वारा नामित न्यासियो तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल /ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा प्रथम न्यास मण्डल की घोषणा करते है प्रथम न्यास मण्डल का विवरण निम्नलिखित है। प्रथम न्यास मण्डल के न्यासी जीवनपर्यन्त न्यास के न्यासी बने रहेगें इनके उपरान्त इनके उत्तराधिकारी स्वत: न्यास मण्डल के न्यासी होगे। इसके अतिरिक्त मनोनीत न्यासी का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। समयावधि समाप्त होने पर स्वत: न्यासी पद निरस्त हो जायेगा।

1 **श्रीमती वीना पाल पुत्री श्री उदय नारायण सिंह संस्थापक न्यासी**
निवासीनी–ग्राम–मथौली, पोस्ट–भरौलिया जनपद–बस्ती

2 **डा0 अरूणा पाल पुत्री श्री धमेन्द्र सिंह संस्थापक न्यासी**
निवासीनी– म0न0 102 ग्राम–मथौली, पोस्ट–भरौलिया जनपद–बस्ती

6 **न्यास मण्डल के अधिकर व कर्तव्य–**

1. समान उददेश्य की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. न्यास के उददेश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसकी विभिन्न ईकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।
3. न्यास के अधीन संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्या शुल्क, दान चन्दा इत्यादि प्राप्त करना।
5 न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालन करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6 न्यास की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढाने का सतत प्रयास करना और आवश्यकता पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उनकी व्यवस्था करना।
7 न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन में बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।
8 न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं/विद्यालयो/ प्रशिक्षण केन्द्रों/ चिकित्सालयों / शोध केन्द्रों / गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना तथा उनके हित में कार्यो को करना।
9 न्यास के उददेश्यो की पूर्ति के लिए न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियो/संस्थाओं/ सरकारी / अर्द्ध सरकारी /गैर सरकारी विभागों में दान, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतो से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उददेश्य की पूर्ति के लिए खर्च करना।
10 न्यास के उददेश्य की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पिक समस्त कार्यो को करना।

11. न्यास से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर न्यास का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत छुट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करना।

12. न्यास द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी व इन्सच्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता व सम्बद्वता में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियामवली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

8 **न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था**

क– **न्यास का गठन एवं संचालन–**

1. न्यास का मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर **श्री अरविन्द पाल पुत्र श्री चन्द्र प्रताप पाल निवासी मोहल्ला शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती** होगें तदुपरान्त **मुख्य न्यासी श्री रूद्रान्श पाल** स्वतः होगें मुख्य न्यासी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम के अगले मुख्य न्यासी को नामित करने के अधिकार को भी प्राप्त होगा। किसी भी दशा में मुख्य न्यासी हम मुकिर **श्री अरविन्द पाल पुत्र श्री चन्द्र प्रताप पाल निवासी मोहल्ला शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती** के उत्तराधिकारियों/वंशजों के अतिरिक्त कोई मुख्य न्यासी नही हो सकेगा।
2. मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति, बिमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित न्यासी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। किसी न्यासी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्याग पत्र देने व न्यास से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. न्यास मण्डल के सदस्यों मे से मुख्य न्यासी न्यास को सुचारू प्रबन्धक व्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यासियों का कार्याधिकारी निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के पदाधिकारी के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव न हो सका तो पदाधिकारीयों का निर्वाचन मुख्य न्यासी के देख रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी मुख्य न्यासियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसे स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य न्यासी द्वारा उसके विधिक उत्तराधिकारियों में से ही कर लिया जायेगा।
5. न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उददेश्यों के विपरित कार्य करनें अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास से पृथक कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधनों के अनुसार मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियो में सें न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नही किया जाता है तो उसको न्यास मण्डल के सदस्यों के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. मुख्य न्यासी को न्यास की बैठक बुलाने का अधिकार होगा।मुख्य न्यासी से कोरम में बहुमत होगा।
7. न्यास के द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियामक के अनुसार उसके प्रबन्ध–व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति या अनुमोदित कराने गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धिक शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की प्रबन्ध समिति के सदस्य पदेन सदस्य होगें तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
8. न्यास मण्डल के कार्यो के लिए मुख्य न्यासी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्च व उनके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से

सम्बन्धित बिलों एवं बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

9. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तराधिकारी नही होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।ऐसे न्यासी को तत्काल मुख्य न्यासी न्यास के द्वारा निष्कासन की जायेगी।

ख– **न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन–**

1. न्यास मण्डल की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी । उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगें। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी ,व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों को वार्षिक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा वार्षिक बैठक में भाग न लेने वाले वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2 वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रिया– कलापों पर विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

9 **मुख्य न्यासी/ मुख्य प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य**

1 इस न्यास के मुख्य न्यासी/ मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।

2 न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशि को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

3 न्यास की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।

4 न्यास की बैठको को आमत्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।

5 न्यास की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय व्यय का हिसाब किताब तथा तथा रिर्पोट न्यास मण्डल के समक्ष रखना।

6 न्यास की ओर से न्यास की चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

7 न्यास द्वारा न्यास के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाही में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

8 इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।

9 न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

10 न्यास के आय व्यय का रिर्पोट तैयार करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधीकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।

11 न्यास के वित सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख रखाव करना।

12 न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी को बिना कारण बताये न्यास से पृथक करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

13 न्यास के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करना व न्यास की सम्पत्ति को बन्धक रखना।

14 न्यास के प्रपत्रों पर न्यास के मोहर के साथ हस्ताक्षरित करना।

10 **न्यास के कोष की व्यवस्था–**

1. न्यास के उददेश्यो की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क, दान,अनुदान, चन्दा एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियां एवं ली गयी ऋण राशियां निहित होगी।
2. न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए किसी डाकघर या राष्टीयकृत बैंक/ मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में न्यास के नाम खाता खेला जायेगा जिसका संचालन मुख्य न्यासी द्वारा एकल अथवा संयुक्त रूप से मुख्य न्यासी व अधिकृत किसी अन्य न्यासी के साथ किया जा सकेगा।
3. न्यास के खाते का विवरण खना व प्रत्येक वर्ष उसका अंकेक्षण चार्टट एकाउन्टेन से करवाना।
4. न्यास के खाते का आन्तरिक अंकेक्षण किया जाएगा और इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना कि न्यास का चरित्र नियमानुसार अलाभकारी है।

11 **सलाहकार बोर्ड**

प्रबन्धसमिति के द्वारा न्यास के उदेश्यों के पूर्ति को गतिशीलता प्रदान करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगा।

12 **न्यास के अभिलेख–**

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा मुख्यन्यासी द्वारा न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

13 **न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था–**

1 न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तिय संस्थाओ व बैंकों से दान, सहायता, ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से न्यास की आय को बढाया जा सकेगा।

2 मुख्य न्यासी न्यास द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेगें या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें तथा न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या विक्रय करना।

3 न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा।

4 न्यास व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

5 न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।

6 न्यास के द्वारा चन्द दुर्गा जनकल्याण समिति शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती जनपद–बस्ती पंजीयन संख्या 1528/2009–2010 पत्रावली संख्या जी46167 के द्वारा संचालित विद्यालयों क्रमश सी0डी0ए0 एकेडमी मान्यता संख्या यस.यल 01624–1213(2131415)/2012/419629 दिनांक 11/5/2012 – 10 2 सी0बी0यस0ई0/एफी/2131415यस.यस–0066–1415/700402 दिनांक 21/3/2014 /16 /4/2014 स्कूल कोड न0 54900 वसी0डी0ए0 इण्टर कालेज मान्यता न0 वाराणसी 3515 दिनांक 13/8/2010 स्कूल कोर्ड न0 1250 व सी0डी0ए0 पूर्व माध्यमिक विद्यालय.2199–2201 मई 2016 जिसकी मान्यता उ0प्र0 बोर्ड, सी0बी0यस0ई0 व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उ0 प्र0 शासनादेश शिक्षा अनुभाग 7 दिनांक 15 जून 2016 के क्रम में सोसाइटी के 3/4 बहुमत से आम सभा के लिखित सहमति से विद्यालय सोसाइटी को ट्रस्ट में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया जिसके अनुपालन में न्यास गठित करके संस्था के समस्त अधिकार व विद्यालयों की प्रशासनिक व सम्पत्ति की

बैनामा पत्र

11,000.00

500.00	80	580.00	26
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री अरविन्द पाल

पुत्र श्री चन्द्र प्रताप पाल

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी शिवा कालोनी पोस्ट पुरानी बस्ती

अस्थायी पता शिवा कालोनी पोस्ट पुरानी बस्ती

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 6/2/2017 समय 12:37PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद हसन अन्सारी
उपनिबन्धक
बस्ती सदर
6/2/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

श्री अरविन्द पाल
पुत्र श्री चन्द्र प्रताप पाल
पेशा कृषि
निवासी शिवा कालोनी पोस्ट पुरानी बस्ती

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान सच्चिदानन्द शुक्ल
स्व0 अवधेश प्रसाद शुक्ल

पेशा कृषि

निवासी तुरकहिया तप्पा देवरांव

व बृजेश कुमार सिंह
प्रताप नरायन सिंह

पेशा कृषि

निवासी ग्राम व पोस्ट तुलसीपुर माझा जनपद गोण्डा

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

[illegible] आधार कार्ड [illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद हसन अन्सारी
उपनिबन्धक
बस्ती सदर
6/2/2017

अन्नपूर्णा सिंह
(सि० लि०)

देखभाल, सुरक्षा, उपयोग व उपभोग का अधिकार प्रदान किया है। न्यास के पंजीयन के तिथि से सभी विद्यालयों का संचालन व शक्तिया व सम्पत्तियॉ न्यास में निहित हो जायेगी।

7 न्यास के आय व्यय व लेखा परीक्षण हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षण की नियुक्ति की जा सकेगी।

8 न्यास द्वारा या न्यास के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

9 न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारीयों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्त करेगा।

10 न्यास मण्डल न्यास के लिए वह सभी कार्य करेगा जो न्यास के हित के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उददेश्य की पूर्ति में सहायक हो।

11 न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पति न्यास के उददेश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्ते लागू होगी।

12 न्यास के सम्बंधित उक्त शर्तो सभी न्यासियों व भविष्य में होनें वाले न्यासियों पर मान्य होगी और इसमें किसी प्रकार का उज्र व एंतराज करने का हक किसी को हासिल नही होगा।

13 न्यास में चयनित समस्त प्राधिकारियों के किसी भी न्यासेत्तर कार्यो के प्रति न्यास उत्तरदायी नही होगा।

स्थायी प्राविधान

1 प्रथम न्यास मण्डल के सभी न्यासी में से किसी एक के मुख्य न्यासी न्यास बन जाने के स्थिति में शेष न्यासी उसी प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेगे जैसा कि न्यास गठन के उपरान्त अपने दायित्वों का निवर्हन करेगे।

2 प्रथम न्यास मण्डल के सभी न्यासी न्यास के द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों के आय का अंश सामान्य रूप से न्यासीयों में वितरित की जायेगी।

3 न्यास के द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को सुचारू से संचालित करने के लिए उप समिति का गठन मुख्य कार्यकारी न्यास द्वारा किया जायेगा।उपसमिति के प्रभारी प्रथम न्यास मण्डल के न्यासी होगें।

4 उपसमिति का कार्यकाल 5 वर्षो के लिए हो तदुपरान्त उपसमिति स्वत: भंग हो जायेगी। मुख्य कार्यकारी न्यास द्वारा अपने विवेक स उपसमिति का नवीनकरण कर सकेगे।

5 न्यास के द्वारा किसी संस्था/ न्यास का अधिग्रहण मुख्य कार्यकारी न्यास द्वारा किया जा सकेगा ।

सी0बी0यस0ई0 के प्रतिबन्ध

न्यास उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 2762/15–13 –/91–4/45/91 दिनांक 30.11.1999 का पालन करेगा और यदि सी0 बी0 एस0 सी0 से सम्बद्व/मान्यता प्राप्त करेगें तो इस शासनादेश का पालन कर देगें।

क. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाए।

ख. विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनु सूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षापरिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नही लिया जायेगा।

न्यासी

Registration No: 10 Year 2017 Book No. 4

0101 अरविन्द पाल

ध संस्था के द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ड संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारीयों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

च कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारीयों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

छ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

ज विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा, यदि हों तो कृपया प्रबन्धधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से झ तक स्वीकार है।

झ उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के नियमानुसार न्यास मण्डल के संचालक के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे जो इण्टरमीडिएट संशोधन अधिनियम 1958 या उसके अन्तर्गत होंगे।

1 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित कार्यक्रमों का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन करना।

2 विद्यालय के कर्मचारियों के नियुक्ति हेतु उपसमितियों का गठन मुख्य कार्यकारी न्यास की सहमति से करना।

3 विद्यालय के प्रशासनिक कार्यो हेतु नियमो व विनियमों को निर्धारित करना।

5, प्रधानाचार्य अध्यापकों, लिपिकों एवं लाइब्रेरियन की नियुक्ति करना ,तथा उनकी सेवा को स्थायी बनाना ,उनकी पदोन्नति ,दण्डित व पदच्यूत करना।

6, विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यकारी न्यास द्वारा विद्यालय के सभी कर्मचारियों के चरित्र पंजिका से की गयी प्रतिकूल प्रविष्ठियों की सुनवाई करके व निपटारा करना ।

7 न्यास के सभी धन सम्पत्ति एवं प्रतिभूतियों पर नियन्त्रण मुख्य कार्यकारी न्यास की सहमति से रखना और उसका प्रबन्ध करना एवं उन सभी कार्यवाहियों को करना जो उनकी सुरक्षा ,उचित व्यय ,मरम्मत ,रखरखाव ,और कानूनी संरक्षण के लिये आवश्यक हो।

8, सभी अभिदानों ,स्टाइपेन्ड ,छात्रवृत्ति को छोडकर अर्थात दान ,चन्दा ,शुल्क ,उपहार ,लाभ ,ब्याज और अनुदानों आदि को प्राप्त करना और संस्था के निमित्त व्यय मुख्य कार्यकारी न्यास के सहमति से करना।

9, अध्यापकों के नियुक्ति के लिये चयन समिति मुख्य कार्यकारी न्यास के नेतृत्व में गठित करना।

10, किसी कर्मचारी के जेष्ठता के सम्बन्ध में आपत्ति दाखिल करने पर समुचित निर्णय लेना।

11 प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिये तीन सदस्यों का चयन उपसमिति का गठन करना उपसमिति का अध्यक्ष विद्यालय की मुख्य कार्यकारी न्यास होगा।

12, किसी अध्यापक का स्थान रिक्त होने की दशा में यह निर्णय करना कि उस पद की पूर्ति सीधी भर्ती से किया जाये या पदोन्नति से मुख्य कार्यकारी न्यास की सहमति से करना।

13, प्रधानाचार्य के लम्बे अवकाश पर चले जाने या सत्र के बीच में उनका स्थान रिक्त होने की दशा में दूसरे प्रधानाचार्य की नियुक्ति करना तथा उसकी सूचना संयुक्त शिक्षा निर्देशक सप्तम मण्डल ,बस्ती को देना।

गवाह

Registration No: 10 Year: 2017 Book No: 4

W1 सच्चिदानन्द शुक्ल

स्व0 अवधेश प्रसाद शुक्ल

तुरकहिया तप्पा देवराय

कृषि

W2 बृजेश कुमार सिंह

प्रताप नरायन सिंह

ग्राम व पोस्ट तुलसीपुर माझा जनपद गोण्डा

कृषि

न्यास का मोहर

न्यास का एक मोहर होगा जिसके उपयोग करने का अधिकार केवल मुख्य कार्यकारी न्यास व कार्यकारी न्यास को होगा।

न्यास के विघटन–

यदि किन्ही अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण न्यास को उद्देश्यों के अधीन संचालित करना सम्भव नही हो और इस न्यास का विघटन अपरिहार्य हो जाये तो इसकी चल–अचल सम्पत्ति ऋण यदि हो उसें चुकता करके अवषेश सम्पत्ति का बटवारा मुख्य न्यासी व संस्थापक न्यासीयों के मध्य समान रूप से वितरित कर दी जाएगी।

क्षतिपूर्ति

न्यास के नियम व उपनियम के अधीन करने पर न्यास के प्रबन्धसमिति और पदाधिकारी के द्वारा किये गये कार्य से न्यास को क्षति होती है तो प्रबन्धसमिति, पदाधिकारी व सदस्य क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगें।

अतः न्यास विलेख **श्री अरविन्द पाल पुत्र श्री चन्द्र प्रताप पाल निवासी मोहल्ला शिवा कालोनी, पोस्ट–पुरानी बस्ती** द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिला दबाव किसी के अपने पूर्ण होशोहवास में अपने परिवारजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरुरत के समय काम आये।

मुख्य न्यासी न्यास
श्री अरविन्द पाल

हस्ताक्षर

गवाहन –

गवाहन–

प्रारूप कर्ता
अनूप चन्द्र श्रीवास्तव (एडवोकेट)
दीवानी कचहरी गोरखपुर

टाईप कर्ता– अनुप्रिया दिक्षित

आज दिनांक 06/02/2017 को

बही सं 4 जिल्द सं 50

पृष्ठ सं 1 से 26 पर क्रमांक 10

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद हसन अन्सारी

उपनिबन्धक

बस्ती सदर